छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 898/2008

1. श्री द्वारिका प्रसाद जंघेल, – *अपीलार्थी*
निवासी–सूराडबरी, तहसील–छुईखदान,
जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/सचिव,* – *प्रति अपीलार्थी*
ग्राम–पंचायत, सूराडबरी, तहसील–छुईखदान
जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 12 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री द्वारिका प्रसाद जंघेल द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत, सूराडबरी जिला–राजनांदगांव के समक्ष दिनांक 25.08.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छुईखदान के समक्ष दिनांक 30.01.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 09.07.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में सचिव ने आंशिक जानकारी दी जाना बताया और शेष जानकारी स्पष्ट और प्रमाणित करके देने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उसका पालन नहीं किया गया, अतः अपूर्ण जानकारी एवं विलंब के लिए सचिव को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 05.03.2009 को प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिवस को सचिव विलंब से आये थे और उन्होंने बताया कि शेष जानकारी साथ में लेकर आये हैं तथा जानकारी देने के लिए तैयार है, किन्तु चूंकि अपीलार्थी पहले ही जा चुके थे, अतः वह जानकारी नहीं दिलवाई जा सकी तथा सचिव ने पहले अपीलार्थी को पूर्व में दी गई जानकारी की पावती भी प्रस्तुत की है। प्रकरण के रिकार्ड से स्पष्ट है कि जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की ओर से भी सचिव को नोटिस जारी हुआ था और वहॉ भी उपस्थित नहीं हुये थे और जानकारी जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराने का दोषी भी उनके द्वारा मान्य किया गया है । सचिव ने उत्तर में यह भी बताया कि अपीलार्थी सचिव पद के लिए प्रत्याशी थे, किन्तु उनका चयन नहीं होने के कारण बदले की भावना से बार–बार आवेदन दे रहे हैं । चूंकि सचिव ने दिनांक 01.03.2008 को अपीलार्थी की पावती की प्रति भी उत्तर के साथ प्रस्तुत की है, अतः उससे प्रतीत नहीं होता है कि सचिव इस संबंध में पूर्णतः दोषी नहीं है । अतः प्रकरण में थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए विलंब एवं

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

अपूर्ण जानकारी के लिए केवल राशि पॉच सौ रूपये की शास्ति अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत आरोपित की जाती है । साथ ही अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि जो भी जानकारी शेष रही हो, वह अब 15 दिवस के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान करा दी जावे । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से राशि 300/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान किया जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com